दिनांक 08.05.2026

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, देवास के न्यायालय से यह प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त। प्रकरण फाइलिंग काउंटर से फायलिंग नं. एम.जे.सी.आर. कं. 3475/2026 पर पंजीबद्ध होकर प्राप्त हुआ, जिसे इस न्यायालय में एम.जे.सी.आर. कं. 825/2026 के रूप में पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण के साथ आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देवास से अपराध कमांक 165/2026 अंतर्गत धारा 281 व 125(a) भारतीय न्याय संहिता की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त हुई।

राज्य द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

आवेदक श्री शुभम पिता रमेश मंसारे सहित श्री शुभम सिंह राजपुत, अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदक/सुपुर्दगीदार शुभम पिता रमेश मंसारे की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन पत्र अंतर्गत 503 भा. ना.सु.सं. पर विचार हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र कोतवाली के अपराध कमांक 165/2022 अंतर्गत धारा 281 व 125(a) भारतीय न्याय संहिता केस डायरी मय प्रतिवेदन आरक्षी केन्द्र कोतवाली के अधिकारिक इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक वाहन पंजीयन एक्टीवा कमांक MP09 DW 0916 का स्वामी है। उक्त वाहन से किसी MP09 DW 0916 प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं हुआ है। वाहन से संबंधित अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। उक्त वाहन बिना देखरेख के थाना प्रांगण में खड़ा हुआ है जिससे वाहन मे खराबी आने की पूर्ण संभावना है। अतः उक्त वाहन आवेदक को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने निवेदन किया गया है।

आवेदन के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा वाहन को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने के संबंध में मौखिक आपत्ति व्यक्त की गई है।

आवेदन के संदर्भ में उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदन पर विचार किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र कोतवाली के अपराध कमांक 165/2022 अंतर्गत धारा 281 व 125(a) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदन में उल्लेखित चल संपत्ति वाहन काले

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	रंग की एक्टीवा कमांक MP09 DW 0916 को आवेदक के दोस्त जय बम्बेले पिता रामप्रसाद बम्बेले से जप्त किया गया है आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन व बीमा से उक्त जप्तशुदा वाहन प्रथम दृष्ट्या आवेदक के स्वामित्व का होना दर्शित है। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के संबंध में अन्य किसी अन्य द्वारा भी किसी प्रकार का दावा नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक जप्तशुदा वाहन को अपनी अंतरिम सुपुर्दगी में लेने हेतु प्रथम दृष्टया सक्षम व्यक्ति होना दर्शित है। जप्तशुदा वाहन की अनुसंधान के दौरान कोई आवश्यकता होना दर्शित नहीं हैं प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। यदि जप्तशुदा वाहन आरक्षी केन्द्र बरोठा के प्रांगण में रखा रहे तो उक्त वाहन में तकनीकी खराबी आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई वि0 गुजरात राज्य ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 638 एवं जनरल इंश्योरेंस कॉन्सिल बनाम् स्टेट आंध्रप्रदेश (2010) 6 एस.सी.सी. 768** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में शीघ्र से शीघ्र अंतरिम अभिरक्षा पर विचार किया जाना चाहिए एवं जप्तशुदा संपत्ति का अधिक समय तक आरक्षी केंद्र में रखे रहने देने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदक द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि जप्तशुदा बीमित नहीं है और न ही घटना दिनांक को बीमित था। अतः उक्त स्थिति में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आ देशित किया जाता है कि आवेदक की ओर से इस न्यायालय की संतुष्टिप्रद राशि **1,00,000/–** (एक लाख रूपये मात्र) एवं स्वयं का छायाचित्र युक्त सुपुर्दनामा निम्नलिखित शर्तो में अधीन प्रस्तुत किया जाये तो उक्त जप्तशुदा वाहन काले रंग की एक्टीवा कमांक MP09 DW 0916 को प्रकरण में अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जाये। **शर्तोः–** 1. आवेदक प्रकरण के अंतिम निराकरण तक सुपुर्दगी पर दिये जाने वाले वाहन के स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा।	

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला देवास (म.प्र.)

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	2. न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर न्यायाय ल में पेश करेगा। 3. आवेदक धारा 452 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों का पालन करेगा। 4. आवेदक उक्त वाहन को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक किसी अन्य को किसी प्रकार से अंतरित नहीं करेगा। उक्त आशय का सुपुर्दनामा पेश होने पर जप्तशुदा वाहन मय दस्तावेज के आवेदक को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिलाये जाने हेतु संबंधित थाने को पत्र इस निर्देश के जारी किया जाये कि वह जप्तशुदा वाहन मय दस्तावेजों के आवेदक की सुपुर्दगी में लेकर पावती एवं पावती चालान प्रपत्रों के साथ संलग्न करे एवं वाहन के विविध कोणों से तीन फोटोग्राफ्स लेकर अभियोग प्रपत्रों के साथ संलग्न करे एवं धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र भी अभियोग–पत्रके साथ संलग्न करे। प्रकरण सुपुर्दनामा पेश करने हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो। (चंद्रा पंवार) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास (म.प्र.) **पुनश्चः–** आवेदक द्वारा 1,00,000/– सुपुर्दनामा पेश किया गया आवेदक शुभम पिता रमेश मंसारे, आयु 29 वर्ष, निवासी शंकर नगर, देवास (म.प्र.) की पहचान अधिवक्ता श्री शुभम सिंह राजपुत के द्वारा की गई। सुपुर्दनामा वाद तस्दीक संतोषप्रद होने से स्वीकार किया गया। आवेदक द्वारा पेश किये मूल रजिस्ट्रेशन एवं बीमा उसे वापस किये गये जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति आदेश पत्रिका में अंकित की गई। उक्त दस्तावेजों के छायाप्रतियां प्रकरण मे संलग्न की गई। जप्तशुदा वाहन के संबंध में रिलीज आदेश जारी किया जाये। इस आदेश की एक प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर केस डायरी वापस कर पावती आदेश पत्रिका पर ली जाए। विविधि कार्यवाही समाप्त। प्रकरण का परिणाम सी. आई.एस. में अंकित कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए। (चंद्रा पंवार) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास (म.प्र.)	